

1. प्रवीण चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वादीगण

**बनाम**

1. छीतर पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती (नरुकान) तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0 प्रतिवादीगण


किस्म मुकदमा - धारा 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

नंबर 53 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 / .....


वकील वादी श्री डी0सी0 सेठी

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.05.2024	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री डी0सी0 सेठी ने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल, सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ वाद पत्र दस्तावेज व सम्मन आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 12.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़ (अजमेर)                 </p> <p>                     12/6/24                      पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप                      श्री ओ. साहव दीरे/अवगत पत्र पधारें हैं। अब                      पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि... 31-7-24                 </p>	
03/07/24	<p>वकील वादी द्वारा प्राप्त वाद पत्रावली के अनुरूप नियत दिनांक से पूर्व तामिली किये जाने के कारण पत्रावली आज नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वादी एवं वकील वादी द्वारा निर्देशित किया गया कि अह अह वाद को आज पेशाना - ही याहते हैं अह</p>	<p>प्रवीण चौधरी                      रि-सि-ड                      3</p>

O.N. 5/3/2024

वादी द्वारा पेश का पत्र स्वीकार किया  
जाकर वादी वादी के बाद के रसीद पर  
पर कार्रवाई किया जाता है।

पत्रावली फाइल शुभारंभ होकर  
पत्रावली नम्बर के नमूने 

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)